राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

सीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी, (आर0ए0एस0)

दमा संख्या :– 67/2024 धारा

1. भैरूनाथ S/o गोपीनाथ जोगी नि० जोगियों का खेड़ा - ह० करेड़ा - भी०

प्रार्थी......

बनाम

01. कालूनाथ S/o शोभानाथ जोगी नि० जोगियों का खेड़ा - ह० करेड़ा - भी०

विपक्षीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 17/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम खुटिया पटवार हल्का कोटड़ी तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 326, 327, 335, 336, ... कुलकिता 4 रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न हता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/2/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक यिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......... खुटिया पटवार हल्का कोटड़ी तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 326, 327, 335, 336, ... कुलकिता 4 रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गिरदावर को 550/- पये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये ल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:46:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला– भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी र पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला– भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा